वार्षिक सहयोग रु. 50/- मात्र

शैक्षिक विचार

शिक्षा जगत की प्रतिनिधि पत्रिका

हे शिक्षक !
बच्चों को यह सिखाना,
धोखे से सफलता पाने से
असफल होना सम्माननीय है
और
अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है।

मुख्य

- प्रदेश परिपत्र
- विधान परिषद पटल पर शिक्षकों की समस्या
- मण्डलीय सम्मेलन समाचार
- तदर्थ विनियमितीकरण परीक्षण दस दिवस के भीतर-अपर मुख्य सचिव
- अवकाश तालिका वर्ष 2025
- एकीकृत पेंशन योजना-गजट प्रकाशन
- विभिन्न शासनादेश एवं अन्य

वर्ष : 15 जनवरी-मार्च 2025 (संयुक्तांक) अंक : 01

झलकियाँ- राज्य परिषद की बैठक एवं वाराणसी मण्डलीय सम्मेलन

हो गरीब या हो धनवान।
शिक्षा होगी एक समान ॥

शिक्षक संघ - जिन्दाबाद।
शिक्षक एकता - जिन्दाबाद ॥

पंजीयन संख्या 2292-I-7528

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ

शिक्षक सदन 96/108 कबीर मार्ग मुरलीनगर क्लेहट (योजना भवन के सामने), लखनऊ

पत्रांक-परिपत्र संख्या 12/24

दिनांक- 25 दिसम्बर 2024

परिपत्र

प्रदेशीय पदाधिकारियों, मण्डल अध्यक्ष/मंत्रियों विभिन्न समितियों के संयोजकों सदस्यों, जनपद अध्यक्ष मंत्रियों के नाम परिपत्र।

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय पदाधिकारियो की एक आवश्यक बैठक आज दिनांक 25.12.2024 को शिक्षक सदन लखनऊ में श्री चेतनारायण सिंह अध्यक्ष पूर्व सदस्य विधान परिषद की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई।

बैठक में सत्र 2024 में किए गए विभिन्न चरणों के आन्दोलन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसकी सफलता के लिए प्रदेश के शिक्षक समुदाय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

बैठक में 02 दिसम्बर एवं 03 दिसम्बर 2024 को विधान सभा घेराव जेल भरो आन्दोलन और उसके वाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा से संगठन के प्रतिनिधि मण्डल की वार्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए शिक्षा निदेशक मा. से वार्ता की कार्यवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए पत्र दिया गया।

बैठक में जनपदीय निर्वाचन समय से सम्पन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा मण्डल एवं प्रदेश पदाधिकारियों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने जनपद मण्डल में 22 जनवरी 2025 तक चुनाव सम्पन्न कराकर चयनित पदाधिकारियों एवं कार्य समिति की सूची उस जनपद से निर्वाचित प्रान्तीय प्रतिनिधियों की सूची महामंत्री को उपलब्ध करा दें।

बैठक में तय किया गया कि मण्डल स्तर पर सम्मेलन 31 मार्च से पूर्व अवश्य सम्पन्न करा लिया जाय।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रान्तीय सम्मेलन 09,10 एवं 11 अप्रैल 2025 को बरेली में सम्पन्न होगा। अतः बरेली, मुरादाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जनपदों को जनपदीय निर्वाचन अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया है।

बैठक में लवकुश कुमार मिश्र पूर्व विधायक, सुरेश तिवारी, मेजर देवेन्द्र सिंह, नरसिंह बहादुर सिंह, सत्येन्द्र शुक्ल, प्रभात सिंह, महेश शर्मा, जगदीश व्यास, प्रदीप सिंह, राजेन्द्र तिवारी, वीरेन्द्र तिवारी, विरेन्द्र सिंह, अशोक श्रीवास्तव, कमलेश सिंह, संतसेवक सिंह, रामानन्द द्विवेदी, रजनीश चौहान, ज्योतिश पाण्डेय, राकेश सिंह, श्री नरायन दूबे ने सम्बोधित किया।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।

संरक्षक	महामंत्री	कोषाध्यक्ष	अध्यक्ष
राजबहादुर सिंह चंदेल	अनिरुद्ध त्रिपाठी	महेशचन्द शर्मा	चेतनारायण सिंह
सदस्य विधान परिषद			पूर्व सदस्य विधान परिषद

अपरिहार्य कारणों से बरेली जनपद में आयोजित होने वाले प्रदेशीय सम्मेलन की उपरोक्त तिथि 9,10 एवं 11 अप्रैल 2025 को प्रदेशीय नेतृत्व द्वारा संशोधित करते हुए 15,16 एवं 17 अप्रैल 2025 कर दिया गया है।

-सम्पादक शैक्षिक विचार

पंजीयन संख्या 2292-1-7528

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ

शिक्षक सदन ९६/१०८ कबीर मार्ग मुरलीनगर क्लेहट (योजना भवन के सामने), लखनऊ

दिनांक- 26 दिसम्बर 2024

प्रदेश संगठन का पत्र सचिव, उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम

सेवा में,

सचिव, उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज।

विषय- उ.प्र. शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18, 12 एवं 21 को प्रख्यापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अपने पत्र दिनांक 12.12.2024 जो पत्रांक 13(2024) / अधियाचन/2024-25 द्वारा आपने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग उ.प्र. शासन को सम्बोधित करते हुए लिखा है। यह पत्र माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं प्रधानाचार्यो की सेवा से सम्बन्धित है। उक्त धाराएँ माध्यमिक संस्थाओं में चयन बोर्ड अधिनियम 1982 द्वारा प्रख्यापित की गयी थी। इन धाराओं का उच्च शिक्षा से कोई संबंध नहीं है।

अतः आपसे आग्रह है कि अपने पत्र दिनांक 12.12.2024 को संशोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उ.प्र. को संबोधित पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे शिक्षकों में व्याप्त आशंका का समाधान हो सके।

अपने द्वारा प्रेषित पत्र अधोहस्ताक्षरी पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सादर!

भवदीय
अनिरुद्ध त्रिपाठी
महामंत्री

प्रदेश संगठन का पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नाम

सेवा में,

दिनांक- 25 दिसम्बर 2024

महानिदेशक, स्कूली शिक्षा (माध्यमिक) उ.प्र.।

विषय- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयन वेतन मान/प्रोन्नत वेतन मान मानव सम्पदा पोर्टल के आधार पर त्वरित निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) से मांगो के संबंध में हो रही वार्ता से उक्त विषय के निस्तारण में हो रही बाधा को

स्तर की संस्थाएं कभी उच्चीकृत नहीं हो पायेंगी। ऐसी स्थिति में पुरानी संस्थाओं को भी उच्चीकृत करने का अवसर दिये जाने हेतु नियमों को शिथिल किया जाना अपरिहार्य है। संविधान के अनुसार शिक्षा देने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। यह संशोधन नई नियमानवली में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाये, जिससे शिक्षा के सार्वभौमिक स्वरूप को व्यापक बनाया जा सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलंबनीय, तात्कालिक सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं।

दिनांक-16.12.2025

(डा. आकाश अग्रवाल)

सदस्य विधान परिषद

(राजबहादुर सिंह चंदेल)

सदस्य विधान परिषद

नियम-105 के अन्तर्गत सूचना

प्रमुख सचिव

विधान परिषद, उ.प्र.।

सदन के माध्यम से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण किये जाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। इन विद्यालयों में लम्बे समय से प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ चयन बोर्ड द्वारा न किये जाने से कार्य संचालन हेतु विभाग द्वारा तदर्थ प्रधानाचार्यों को नियुक्त कर कार्य लिया जा रहा है। यह प्रधानाचार्य कर्त्तव्य निष्ठा के अनुसार विभागीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं तथा इन्हें प्रधानाचार्य पद का वेतन भी प्राप्त हो रहा है। लंबे समय से कार्य करने के कारण उ.प्र. प्रधानाचार्य परिषद द्वारा यह मांग की जा रही है कि इनके उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर इन्हें विनियमित किया जाये किन्तु प्रशासन व शासन की उदासीनता के कारण अब तक कोई भी निर्णयनही लिया जा सका है। स्थिति संवेदनशील है।

अतएव लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय सुनिश्चित प्रकरण पर तदर्थ प्रधानाचार्यों को विनियमितीकरण का लाभ प्रदान कराये जाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

दिनांक-19.02.2025

राजबहादुर सिंह चंदेल

सदस्य विधान परिषद

नियम-105 के अन्तर्गत सूचना

प्रमुख सचिव

विधान परिषद, उ.प्र.।

सदन के माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरे जाने हेतु निर्धारित की गयी योग्यता की इण्टरमीडिएट से घटाकर हाईस्कूल किये जाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थाओं में सफाई कर्मचारी के रूप में की जाने वाली नियुक्ति में भी वही योग्यता निर्धारित की गयी है जबकि इन कर्मियों को साक्षर होना ही पर्याप्त है।

शासन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति आउट सोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्रदाता (एजेन्सी) के द्वारा किये जाने की व्यवस्था

दूर करने हेतु विचार विमर्श में आपने अपर मुख्य सचिव से कहा कि इस संबंध में एक माड्यूल बेसिक शिक्षा हेतु तैयार है, और वही माध्यमिक शिक्षा में भी लागू कर दिया जाये। जिससे 10 वर्ष एवं 22 वर्ष की सेवा पर निर्धारित तिथि को वेतन वृद्धि की तरह स्वतः निर्धारण हो जायेगा।

भवदीय

अध्यक्ष
चेतनारायण सिंह
पूर्व सदस्य विधान परिषद

महामंत्री
अनिरुद्ध त्रिपाठी

विधान परिषद् पटल पर उठाये गये महत्वपूर्ण प्रश्न

नियम-105 के अन्तर्गत सूचना

प्रमुख सचिव

विधान परिषद, उ.प्र.।

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरे जाने हेतु निर्धारित की गयी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट का होना एक आश्चर्यजनक स्थिति है। बहुत पहले से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा-8/साक्षर ही रही है किन्तु वर्तमान सरकार ने उक्त पद हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित करके हजारों नवयुवकों को सेवा से वंचित किया जा रहा है। यही स्थिति कमोवेश सफाई कर्मचारी पद की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट किया गया, जबकि सफाई कर्मियों के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता का कोई मानक ही नहीं रहा है। केवल साक्षर होना ही पर्याप्त था। उक्त दोनों पदों चतुर्थ श्रेणी/सफाई कर्मी के पदों पर चयन की प्रक्रिया पूर्व की भांति क्रमशः कक्षा-8 एवं सफाई कर्मी पद हेतु कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

जहाँ तक उक्त पदों को भरने की प्रक्रिया एजेंसी के माध्यम से करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे उक्त पदों में सेवा करने के इच्छुक अभ्यर्थियों का आर्थिक/मानसिक शोषण किया जा रहा है। शैक्षिक योग्यता का मापदण्ड और एजेन्सी के माध्यम से पदों को भरा जाना, दोनों प्रक्रियाओं से होनहार नवयुवकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है।

अतएव लोकमहत्व तात्कालिक, अविलम्बनीय, सुनिश्चित विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करते हैं।

दिनांक-24.02.2025

(डा. आकाश अग्रवाह)
सदस्य विधान परिषद

(राजबहादुर सिंह चंदेल)
सदस्य विधान परिषद

नियम-105 के अन्तर्गत सूचना

प्रमुख सचिव

विधान परिषद, उ.प्र.।

सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान छात्रों की अपार आईडी बनने में होने वाली कठिनाइयों की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। छात्रों की अपार आईडी बनाने में स्कूल के रिकार्ड एवं छात्र का आधार एवं माता-पिता के आधार से भी रिकार्ड चेक किया जा रहा है। आधार में छोटी भी त्रुटि हो तो अपार आईडी वैलिडेट नही हो पाती है। आधार में कोई छोटा परिवर्तन भी है तो उसमें संशोधन भी छात्र/अभिभावक को ही कराना है। इसके लिए स्कूल को दोषी नहीं माना जा सकता है। स्कूल का कम्प्यूटर आपरेटर केवल विद्यालय के शैक्षिक रिकार्ड के द्वारा रिकार्ड फीड कर सकता है परंतु आधार कार्ड में संशोधन छात्र/अभिभावक को ही कराना होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि जन्म तिथि या निवास के प्रमाण के रूप में आधार अनिवार्य नही है।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा स्कूलों पर अपार आईडी पूर्ण करने का जबरदस्ती दबाव भी बनाया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2025 पत्रांक 880, 882, 903 के द्वारा विद्यालय को जबरदस्ती धमकाया जा रहा है एवं मान्यता प्रत्याहरण करने की कार्रवाई किए जाने का आदेश भी दिया जा रहा है। यह कार्य पूर्णतया असंवैधानिक है। विद्यालय की जिम्मेदारी केवल उसके द्वारा शैक्षिक रिकार्ड फीड किए जाने तक तय हो। अपार आईडी बनने में यदि आधार वैलिडेट नहीं होता तो विद्यालय को जिम्मेदार नहीं माना जाए। अधिकारियों की इस मनमर्जी पर रोक लगे। आधार कार्ड वैलिडेट ना हो तो छात्र/अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए उन पर विधिपूर्ण कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करे। प्रदेश के अधिकारियों की मनमरजी से वित्तविहीन विद्यालय सरकारी प्राइमरी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूलों में गंभीर रोष एवं असंतोष व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक एवं गंभीर है।

अतएव शिक्षा से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं।

दिनांक-20.02.2025

(डा. आकाश अग्रवाल)
सदस्य विधान परिषद

(राजबहादुर सिंह चंदेल)
सदस्य विधान परिषद

नियम-105 के अन्तर्गत सूचना

प्रमुख सचिव

विधान परिषद, उ.प्र.।

प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की 75 प्रतिशत से अधिक शिक्षा व्यवस्था का उत्तर दायित्व 24 हजार वित्तविहीन व्यवस्था के संचालित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा सम्पादित की जा रही है। जिनके **शिक्षक बंधुवा मजदूरों के सदृश जीवनयापन कर रहे हैं।** कोविड-19 महामारी के प्रकोप के समय जहां एक ओर प्रदेश के समस्त शैक्षिक संस्थाओं के पठन-पाठन को बाधित किया वहीं दूसरी ओर इन वित्तविहीन **विद्यालयों के शिक्षकों के प्रति सरकार की घोर** उदासीनता पूर्ण रवैया के कारण ये शिक्षक अभिशप्त जीवन जीन के लिए मजबूर होकर समाज में आर्थिक रूप से अत्यन्त विपन्न स्थिति में है। **सरकार ने कोविड-19 के दौर में दिहाड़ी मजदूर आदि को राहत पैकेज देने संबंधी उदघोषणायें की गयी**

किन्तु भुखमरी की कगार पर खड़े हुए इन वित्तविहीन शिक्षकों पर निगाह डालना भी सरकार ने उचित नहीं समझा। समय-समय पर संगठन ने इन शिक्षकों की पीड़ा को आत्मसात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के लिए इस घोर आपदाकाल में राहत पैकेज दिये जाने का प्रस्ताव रखा किन्तु उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सकी। अनेकों संघर्षों के बाद **पूर्ववर्ती सरकार ने इन शिक्षकों के लिए वर्ष 2026-17 के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान करते हुए 10 माह हेतु प्रधानचार्य (इण्टरमीडिएट)** को 1090.83 रु. प्रधानाचार्य (हाईस्कूल) को 999.16 रु. प्रवक्ता को 907.50 रु. सहायक अध्यापक को 815.83 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करते हुए कुछ राहत प्रदान की थी किन्तु आश्चर्य है कि मौजूदा सरकार ने उक्त बजट को यह कहते हुए रोक दिया कि इसमें विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा यह आश्वासन भी दिया गया कि निर्धारित औपचारिकताओं का विधिवत पालन करते हुए बजट जारी किया जायेगा। दिनांक 19 मार्च 2019 को माननीय उप मुख्यमंत्री (माध्यमिक शिक्षा मंत्री) ने संगठन के मूल्यांकन बहिष्कार आन्दोलन को समाप्त कराते हुए आश्वास्त किया था कि वित्तविहीन मान्यता की धारा 7 क(क) को 7(4) में परिवर्तित करते हुए सेवाशर्तें निर्धारित की जायेगीं तथा अकुशल श्रमिक से अधिक 15 हजार प्रतिमाह का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से सरकारी कोषागार से किया जायेगा किन्तु दुर्भाग्य है कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री की यह घोषणा लालफीताशाही का शिकार हो गयी। यह वित्तविहीन विद्यालय के राष्ट्र निर्माता कहलाने वाले शिक्षक अपने भाग्य पर जीने के लिए छोड़ दिये गये। जो इतिहास के पन्नों पर बदनुमा दाग है। उ.प्र. सरकार से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को सरकारी कोषागार से मानदेय दे की मांग करते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री की उपरोक्त घोषणा का कार्यरूप में परिणत न होने से प्रदेश के वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों में गंभीर रोष एवं असंतोष व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक एवं गंभीर है।

अतएव शिक्षा, शिक्षक, छात्र एवं समाज हित के इस महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने तथा माननीय उप मुख्यमंत्री की उपरोक्त घोषणा को लागू किये जाने की मांग करते हैं।

दिनांक-19.02.2025

(डा. आकाश अग्रवाल) — **(राजबहादुर सिंह चंदेल)**

सदस्य विधान परिषद — **सदस्य विधान परिषद**

नियम-105 के अन्तर्गत सूचना

प्रमुख सचिव .

विधान परिषद, उ.प्र.।

मैं सदन के माध्यम से शासन का ध्यान उत्तर प्रदेश माधयिमक शिक्षा परिषद उ.प्र. द्वारा वित्तविहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने वाली नई संशोधित नियमावली की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। **नयी मान्यता देने वाली नियमावली संविधा के नियमों के विपरीत है।** संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षा, चिकित्सा एवं कानून व्यवस्था समवर्ती सूची के विषय हैं। उसके पश्चात भी शिक्षा व्यवस्था पर होने वाले व्यय को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल के निजी प्रबंधतंत्र के ऊपर डाल दिया है। **मान्यता देने की जो नयी व्यवस्था घोषित की गयी है वह पूर्व से संचालित संस्थाओं के लिए सर्वथा अलाभकारी है।** इन नयी व्यवस्था के **मानकों की पूर्ति कर पाना** बहुत ही कठिन है। इस व्यवस्था से पूंजी पतियों को बढ़ावा मिलेगा। जनहित में इन नियमावली को संशोधित किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। नई नियमावली में भूमि एवं भवन व प्राभूत के मानक बहुत ही बढ़ा दिये गये हैं। जिस कारण पूर्व में **संचालित हाईस्कूल**

वाराणसी मण्डल का मण्डलीय सम्मेलन संपन्न

चहनिया क्षेत्र के बलुआ स्थित बाल्मीकि इण्टर कालेज में दिनांक 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को मण्डलीय सम्मेलन एवं शिक्षक गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री चेतनारायण सिंह ने मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इनके साथ विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष प्रधानाचार्य परिषद एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य डा. हरेन्द्र कुमार राय तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी उपस्थित वाराणसी मण्डल के चन्दौली, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर सहित अन्य जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, बलिया, मऊ, आजमगढ़ आदि से आये हुए पदाधिकारियों, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं अन्य अतिथियों को विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सम्मेलन संयोजक प्रदेश मंत्री वीरेन्द्र प्रताप तिवारी ने स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। वही पेंशन के लिए 1967-68 आन्दोलन के समय जेल गये सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि चेतनारायण सिंह ने कहा कि वर्तमान की चिंता छोड़कर भविष्य की चिन्ता के लिए आंदोलन में जेल गये शिक्षको को नमन है। आज इनके कारण हम शिक्षकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का कार्य चल रहा है। इनको सम्मानित करने का भाग्य बड़े ही सौभाग्य से मिलता है। संघर्ष के दम पर ही प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों को बहुत सी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। आज सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और शिक्षा का तेजी से बाजारीकरण हो रहा है। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही शिक्षक अपनी समस्याओं के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें।

विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद एवं सदस्य शिक्षा सेवा चयन आयोग डा. हरेन्द्र कुमार राय ने कहा कि शिक्षक समाज में बच्चों के साथ अपने समाज की समस्याओं की लड़ाई लड़ना उनका प्रथम कर्तव्य है। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि संगठन में आन्दोलन की चर्चा की गयी है। इस संगठन का निर्माण शिक्षकों का सम्मान होना एवं शिक्षा के उन्नयन पर केन्द्रित है। समाज में शिक्षकों की भूमिका अहम है। हमारी सेवा सुरक्षा जरूरी है। जमीनी आन्दोलन के बाद सेवा सुरक्षा मिली तो पुरानी पेंशन भी बहाल होगी।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गाजीपुर हरिकेश यादव जिलाध्यक्ष जौनपुर प्रमोद कुमार सिंह जिलाध्यक्ष वाराणसी दिनेश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष चंदौली त्रिभुवन नारायण सिंह ने वाराणसी मण्डल के संगठनात्मक स्वरूप और विगत समय में हुए जनपदीय संघर्षों एवं धरना प्रदर्शन की चर्चा की। इनके साथ चारों जनपदों की जिला कार्यकारिणी भी उपस्थित रही।

प्रदेश पदाधकारियों में कमलेश कुमार सिंह, नरसिंह बहादुर सिंह, अजय प्रकाश सिंह, वीरेन्द्र कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, विद्याधर पाण्डेय, गुप्तेश्वर सिंह, वीरेन्द्र प्रताप सिंह, अशोक कुमार श्रीवास्तव, ज्वाला प्रसाद राय, संतसेवक सिंह, शिवमूरत यादव, धनंजय सिंह, डा. राकेश कुमार सिंह, नरेन्द्र सिंह, डा. के.पी. सिंह, कैलाश नाथ सिंह, नरोत्तम यादव, रामानन्द यादव, प्रभाकर सिंह, उधम सिंह सहित विभिन्न जनपदों के पदाधिकारी एवं सक्रिय शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की शानदार उपस्थिति रही। सम्मेलन में भारी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे तथा अपनी मांगों के लिए संघर्ष में एकजुट रहने का संकल्प लिया।विद्यालय के पूर्व प्राचर्य एवं निवाचन क्षेत्र प्रभारी श्री संत सेवक सिंह ने सम्मेलन में अपनी प्रभावी भूमिका का शफलतापूर्वक निर्वहन किया।

सम्मेलन का संचालन मंडल मंत्री सत्येन्द्र कुमार सिंह एवं अध्यक्षता मण्डल अध्यक्ष सुधाकर सिंह ने किया। आभार

शासनादेश संख्या-1613/15-8-2022-3003 (18)/2016 दिनांक 28.10.2022 के अन्तर्गत की गयी है। जिसमें इनकी शैक्षिक योग्यता चतुर्थ श्रेणी पदों पर इण्टरमीडिएट कर दी यी है। इस श्रेणी के अन्तर्गत परिचारक, चौकीदार, सफाई कर्मचारी भी आ रहे हैं। इस संबंध में जनमानस द्वारा यह मांग की जा रही है कि चतुर्थ श्रेणी के सामान्य श्रेणी पदों की भर्ती हाईस्कूल से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा सफाई कर्मचारी कक्षा -8 या साक्षर होना ही पर्याप्त है और मेरी जानकारी में यह भी लाया गया है कि जिन एजेन्सियों के द्वारा इन चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरा जा रहा है वह गोपनीय तरीके से भरा जा रहा है जिनका समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं किया जा रहा है जिससे भर्तियों की जानकारी किसी को नहीं हो पा रही है। इन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता का कोई मापदण्ड नहीं रहा है। जिससे वर्तमान युवकों में असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक है।

अतएव लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करते हैं।

दिनांक-17.12.2025

(डा. आकाश अग्रवाल) **राजबहादुर सिंह चंदेल**

सदस्य विधान परिषद **सदस्य विधान परिषद**

नियम-105 के अन्तर्गत सूचना

प्रमुख सचिव

विधान परिषद, उ.प्र.।

सदन के माध्यम से उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों एवं सहा. प्राप्त जू.हा. में नियुक्त सी.पी.एड. योग्यताधारी सहा. अध्यापकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। उक्त संबंध में उ.प्र. बे.शि.प्र. के पत्रांक-बे.शि.प./ प्रशिक्षण/21282-21535/92-93 दिनांक - 01.01.1993 में यह निर्देश दिये गये थे कि परिषदीय विद्यालयों में सी.टी. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को विद्यालय में सेवालाभ दिया जाता है, उसी प्रकार सी.पी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भी परिषदीय विद्यालय में नियुक्त किया जाये। परिषद द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सी.पी.एड. प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी अशासकीय मान्यता प्राप्त तथा बे.शि.प्र. के विद्यालयों में स.शि. के पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह हैं। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त तथा नियुक्त सहा. शिक्षकों को जनपद (भदोही, फतेहपुर, मिर्जापुर, सम्भल, प्रयागराज, वाराणसी, गोण्डा आदि) में प्रथम नियुक्ति से प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के शेष जनपदों में प्रशिक्षित वेतनमान नियुक्ति तिथि से नहीं प्रदान किया जा रहा है। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा शिक्षा निदेशक (बे.) को 14 प्रतिवेदन दिये गये किन्तु विभागीय उदासीनता से प्रदेश में सी.पी.एड. योग्यताधारी शिक्षकों को अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। स्थिति संवेदनशील है।

अतएव लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय सुनिश्चित विषय पर सदन से आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करते हैं।

दिनांक-16.12.2025

(डा. आकाश अग्रवाल) **राजबहादुर सिंह चंदेल**

सदस्य विधान परिषद **सदस्य विधान परिषद**

गोरखपुर मण्डल का मण्डलीय सम्मेलन सम्पन्न

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर मण्डल का मण्डलीय सम्मेलन एम.एस.आई. इण्टर कालेज, बख्शीपुर गोरखपुर में 28 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एवं पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री चेतनारायण सिंह के अपरिहार्य कारणों से न पहुंचने पर पद का दायित्व विशिष्ट अतिथि प्रदेश महामंत्री उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ श्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने निभाया। सम्मेलन में चर्चा का मुख्य विषय शिक्षा पर पूंजीवाद का दुष्प्रभाव रहा जिस पर विचार व्यक्त करते हुए शिक्षा के बाजारीकरण पर चिन्ता व्यक्त की गयी। मंडलीय सम्मेलन में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया गया। सम्मेलन में वित्तविहीन व्यवस्था समाप्त करने की मांग की गयी।

इस अवसर पर हरिमिलन शाही, शैलेश सिंह, बलवन्त सिंह, दीनानाथ, रविन्द्र प्रताप, शतीश राय, रामवरन दास, अशोक चौरसिया, महेश, गिरिजा नन्दन यादव, डा. राकेश कुमार सिंह, नरेन्द्र सिंह, धनंजय सिंह आदि वक्ताओं ने अपने विचार साझा किये। सम्मेलन की अध्यक्षता मण्डल अध्यक्ष रणजीत सिंह एवं संचालन संजय तिवारी ने किया।

प्रान्तीय सम्मेलन की तैयारी हेतु बैठक सम्पन्न बैठक 16 फरवरी-2025 को सम्पन्न हुई

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रान्तीय सम्मेलन 15,16 एवं 17 अप्रैल 2025 को बरेली में सम्पन्न होने जा रहा है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए तैयारी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक इस्लामिया इंटर कालेज, बरेली में सम्पन्न हुई। बैठक में बरेली, मुरादाबाद मण्डल से संबंधित जनपदों के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष मंडल मंत्री तथा संबंधित जनपदों के प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा की गयी।

बैठक में प्रदेश महामंत्री अनिरुद्ध त्रिपाठी ने तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर मेजर डॉ. देवेन्द्र सिंह, महेश चन्द्र शर्मा दोनों मण्डलों के पदाधिकारी आदि विशेष रूप से सम्मिलित हुए।

लखनऊ मण्डल का मण्डलीय सम्मेलन आयोजित

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ लखनऊ का मंडलीय सम्मेलन बक्सी तालाब इण्टर कालेज में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री राजबहादुर सिंह चंदेल सदस्य विधान परिषद एवं संरक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ और विशिष्ट अतिथि के रूप में अनिरुद्ध त्रिपाठी महामंत्री उ.प्र. मा. शिक्षक संघ ने सम्मेलन को संबोधित किया। श्री राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में सम्मान जनक वेतन व पेंशन से एक पाई कम नहीं स्वीकार किया जायेगा। उन्होंने शिक्षक समुदाय से सतर्क रहने का आह्वान किया। सम्मेलन में सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं मण्डल के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया।

विशिष्ट अतिथि अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षक संघ सतर्क है और संघर्ष के लिए तैयार है। सम्मेलन में पुरानी पेंशन, तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की मांग की गयी।

सम्मेलन को प्रदेश उपाध्यक्ष डा. सुरेश तिवारी, प्रदेश मंत्री रमाशंकर मुत्रा, राममोहन सिंह ने संबोधित किया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह और संचालन प्रदेश मंत्री प्रभात सिंह एवं मंडल मंत्री विनोद मिश्रा ने किया। इस अवसर पर लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, उन्नाव बाराबंकी के पदाधिकारियों ने भी अपना उद्बोधन दिया।

यह सम्मेलन 18 फरवरी 2025 को सम्पन्न हुआ।

- प्रस्तुतकर्ता- प्रदीप कुमार सिंह, सह सम्पादक शैक्षिक विचार

तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का परीक्षण 10 दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाय-अपर मुख्य सचिव उ.प्र. शासन

प्रेषक,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उ.प्र. प्रयागराज।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊः दिनांक 17 फरवरी, 2025

विषय-मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं.-21492/2023 विनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सामान्य (1) तृतीय/ 17264/2024-25, दिनांक 04.10.2024 एवं पत्रांक सामान्य (1) तृतीय/17773/2024-25, दिनांक 28.10-.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-21492/2023 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 एवं 03.10.2024 की प्रति एवं रिट याचिका संख्या-907/2024 राकेश त्रिपाठी बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही हेतु आदेश/निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. विषयांकित रिट याचिका में मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2024 को विस्तृत आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रकरण पर विचार करने हेतु मा. न्यायालय द्वारा मापदण्ड/दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त सम्प्रकृति की रिट याचिका संख्या-907/2024 में भी पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 में मा. न्यायालय द्वारा तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रकरण पर विचार करने हेतु कतिपय बिन्दु निर्धारित किये गये हैं।

3. रिट याचिका संख्या-907/2024 राकेश त्रिपाठी बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के प्रस्तर-15 में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्धारित बिन्दु निम्नवत हैं—

".....15. The Director of Education (Secondary) U.P. Shall, therefore, ensure that Regional Selection Committees while rejecting claim of Ad-hoo teachers for regularization must returned findings of fact with reason broadly on following points:

(i) Existence of vacancy on the date of selection.

(ii) Eligibility of candidate selected on the date of selection.

(iii) Approval by the District Inspector of Schools.

(iv) If approval under the orders of this Court, Justification for such disapproval or withholding of approval prior to intervention of Court,

(v) Status of vacancy as on date;........".

4. रिट याचिका संख्या-21492/2023 विनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश

दिनांक 0.09.2024 के प्रस्तर-149 में मा. न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रकरण पर विचार करने हेतु मापदण्ड/दिशा निर्देश/प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। प्रस्तर-149 से पारित आदेश एवं निर्धारित दिशा-निर्देश निम्नवत है—

".....149. Considering the facts and circumstances of the case, this Court is of the opinion that the matters which have been remitted back to the Regularization Committee shall be considered in the light of the following directions :

(i) The Regional Regularization Committee shall accord fresh consideration in all remitted matters within a period of six weeks from the date of remand.

(ii) As far as possible, the Regional Regularization Committee shall accord hearing to all the candidates whose claim is under consideration for regularization.

(iii) The Committee shall ask all the Management Committees of the Institution to provide necessary documents which are needed for consideration of regularization of the candidates within a period of two weeks from the date of this order. In case the documents are not provided by the Management Committees, the Regularization Committee shall proceed against the institution in question under the provisions of Act of 1921.

(iv) The Regularization Committee shall further accord due consideration to provision of Act of 1982 while considering the claim for regularization especially for all those candidates whose case fall under Sections 33-B, 33-C, 33-F, and 33-G.

(v) It is further provided that in view of clarification of Government Order dated 26.09.2024, all the candidates whose matters are under consideration before the Regional Regularization Committee, shall be paid their salary which has been stopped pursuant to the order dated 09.11.2023 within a period as period as prescribed in the clarification order dated 26.09.2024, till their claims are finally decided.

(vi) Further all the candidates whose claim has not been decided by the Regularization Committee shall be permitted to work.

(vii) It is clarified that in all those cases where the claim for regularization was rejected and the writ petition has been allowed by this Court and the matter has been remitted back for fresh consideration, those candidates shall be entitied for their entire salary till their claim is decided afresh...."

5. उल्लेखनीय है कि मा. न्यायालय का उक्त आदेश मात्र दिनांक 30.12.2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के संबंध में है, न कि वर्ष 2000 के पश्चात नियुक्त तदर्थ शिक्षकों हेतु है। इस स्थिति को मा. न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 30.09.2024 के प्रस्तर-150 में स्पष्ट किया है, जो निम्नवत् है—

".....150. The directions issued is only pertaining to the appointments made against short term vacancy/ad hoc appointment upto 30.12.2000. Those cases in which appointment has been made post 2000, the judgment and directions given by this Court would not apply."

6. रिट याचिका संख्या-907/2024 राकेश त्रिपाठी बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 एवं रिट याचिका संख्या-21492/2023 विनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित उपर्युक्त आदेशों के क्रम में विनियमितीकरण के प्रकरण का परीक्षण कर मा. न्यायालय द्वारा नियत समयावधि के अन्तर्गत विनियमितीकरण के प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को

आवश्यक दिशा-निर्देश तत्काल निर्गत किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-1559/15.05.2024-1601 (696)/2019 टी.सी. दिनांक 04 नवम्बर, 2024 द्वारा आपको निर्देशित किया गया है।

7. उ.प्र. विधान मण्डल की विभिन्न मा. विधायी समितियों के समक्ष प्रश्नगत प्रकरण प्रायः उठाये जाते हैं, जिनमें मा. समितियों द्वारा शासन के अधिकारियों से यह प्रश्न किये जाते हैं कि अनेक मण्डलों में विनियमितीकरण के बहुतायत प्रकरण अद्यतन अनिस्तारित है, जबकि उन्हें निस्तारित किये जाने के आदेश मा. न्यायालय एवं शासन दोनों स्तर से दिये गये हैं। मा. समितियों द्वारा यह भी पृच्छा की जाती है कि मण्डलीय समितियों द्वारा विनियमितीकरण के निस्तारित प्रकरणों में समानता क्यों नहीं है, जबकि समस्त प्रकरण समान प्रकृति के हैं। अतः निस्तारण में भी समानता का प्रतिबिम्बन होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मा. समितियों के समक्ष अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है।

8. अनेक मण्डलों में विनियमितीकरण के अधिकांश प्रकरणों को मण्डलीय समितियों द्वारा निस्तारित किये जाने के उपरान्त निस्तारण आदेश को मा. न्यायालय द्वारा खण्डित/आस्थगित करते हुए प्रकरण के पुनः निस्तारण हेतु मण्डलीय समितियों को आदेश दिये गये हैं। पुनः निस्तारण के भी अनेक प्रकरण स्तारण हेतु मण्डलीय समितियों के समक्ष अद्यतन लंबित हैं। ऐसी स्थिति में याचीगण को वेतन भुगतान किये जाने की स्थिति उत्पन्न होगी। किन्तु वेतन भुगतान से पूर्व4 शासन से अुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, क्योंकि शासनादेश दिनांक 26.09.2024 रिट याचिका संख्या-21492/2023 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-13023/2023 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 के अनुपालन में विनियमितीकरण के प्रकरण को निस्तारित किये जाने और निस्तारण की तिथि तक वेतन भुगतान किये जाने से संबंधित है न कि वैसे विनियमितीकरण के प्रकरण से संबंधित है, जो मा. न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में मण्डलीय समितियों द्वारा निस्तारित किये जा चुके है और उक्त निस्तारण आदेश को मा. न्यायालय द्वारा खण्डित/आस्थगित कर पुनर्विचार हेतु मण्डलीय समितियों को वापस कर दिया गया है, जो अद्यतन लम्बित है।

9. प्रायः यह भी संज्ञान में आता है कि विनियमितीकरण के प्रकरण के निस्तारण को लेकर कतिपय मण्डलीय समितियों के समक्ष इस आशय का संशय विद्यमान है कि विनियमितीकरण के प्रकरण का निस्तारण किस आधार पर किया जाय? इस संबंध में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 04.11.2024 स्वतः स्पष्ट है। प्रश्नगत शासनादेश में भी उक्त बिन्दुओं को उद्धृत किया गया है, जिसके आधार पर विनियमितीकरण के प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। इस संबंध में किसी प्रकार की संशयात्मक स्थिति व्याप्त नहीं है।

10. विनियमितीकरण के लंबित प्रकरण निस्तारित नहीं होने के कारण अनेक मामलों में अवमानना वाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वेतन भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो रही है एवं मा. न्यायालय के समक्ष प्रायः अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-907/2024 राकेश त्रिपाठी बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2024 के प्रस्तर-15 में मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्धारित बिन्दु एवं रिट याचिका संख्या-21492/2023 विनोद कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2024 के प्रस्तर-149 में मा. न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के प्रकरण का परीक्षण कर 10 दिवस के अंदर विनियमितीकरण के प्रकरणों को निस्तारित किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों/मण्डलीय समितियों को आवश्यक दिशा-निर्देश तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में मा. न्यायालय एवं मा. विधायी समितियों के समक्ष उत्पन्न होने वाली असहज स्थिति से बचा जा सके।

भवदीय

(दीपक कुमार)

अपर मुख्य सचिव

शिक्षा निदेशक (मा.) लखनऊ द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के वर्ष 2025 हेतु अवकाश तालिका निर्गत

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा.)

उ.प्र. लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक

समस्त जनपद उत्तर प्रदेश

पत्रांक : शिविर/45477-5800/2024-25 दिनांक 30 दिसम्बर 2024

विषय-प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2025 की अवकाश तालिका का प्रेषण।

महोदय,

सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-870/तीन-2024-39 (2)/2016 दिनांक 17 दिसम्बर 2024 द्वारा वर्ष-2025 के लिये घोषित अवकाश के आधार पर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2025 के लिए अवकाश तालिका संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अपने जनपद के स्थानीय अवकाशों को यथावश्यक समायोजित करते हुए माध्यमिक विद्यालयों की अवकाश तालिका अपने स्तर से अधीनस्थ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

डॉ.(महेन्द्र देव)

शिक्षा निदेशक (मा.)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

माध्यमिक विद्यालयों हेतु अवकाश तालिका 01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 तक

क्र.सं.	दिनांक	माह	दिवस	अवकाश का नाम	अवकाश की संख्या
1	06	जनवरी	सोमवार	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	01
2	14	जनवरी	मंगलवार	मकर संक्रान्ति/*हजरत अली का जन्म दिवस	01
3	26	जनवरी	रविवार	गणतंत्र दिवस	01
4	02	फरवरी	रविवार	बसन्त पंचमी	01
5	12	फरवरी	बुधवार	संत रविदास जयन्ती	01
6	26	फरवरी	बुधवार	महाशिवरात्रि	01
7	13	मार्च	गुरुवार	होलिका दहन	01
8	14	मार्च	शुक्रवार	होली	01

क्र.सं.	दिनांक	माह	दिवस	अवकाश का नाम	अवकाश की संख्या
9	31	मार्च	सोमवार	*ईद-उल-फितर	01
10	06	अप्रैल	रविवार	रामनवमी	01
11	10	अप्रैल	गुरुवार	महावीर जयन्ती	01
12	14	अप्रैल	सोमवार	डा. भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस	01
13	18	अप्रैल	शुक्रवार	गुड फ्राइडे	01
14	21	अप्रैल	सोमवार	ईस्टर-मंडे	01
15	12	मई	सोमवार	बुध पूर्णिमा	01
दिनांक 21 मई से 30 जून, 2025 तक ग्रीष्मावकाश					
16	06	जुलाई	रविवार	*मोहर्रम	01
17	09	अगस्त	शनिवार	रक्षा बन्धन	01
18	14	अगस्त	गुरुवार	चेहल्लुम	01
19	15	अगस्त	शुक्रवार	स्वतंत्रता दिवस	01
20	16	अगस्त	शनिवार	जन्माष्टमी	01
21	05	सितम्बर	शुक्रवार	ईद-ए-मिलाद/बारावफात	01
22	17	सितम्बर	बुधवार	विश्वकर्मा पूजा	01
23	01	अक्टूबर	बुधवार	दशहरा महानवमी	01
24	02	अक्टूबर	गुरुवार	महात्मा गाँधी जयंती/विजयादशमी	01
25	20	अक्टूबर	सोमवार	नरक चतुर्दशी/दीपावली	01
26	22	अक्टूबर	बुधवार	गोबर्द्धन पूजा	01
27	23	अक्टूबर	गुरुवार	भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती	01
28	05	नवम्बर	बुधवार	गुरु नानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा	01
29	24	नवम्बर	सोमवार	गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस	01
30	25	दिसम्बर	गुरुवार	क्रिसमस-डे	01

अवकाश/रविवार/ग्रीष्मावकाश दिवस : 119
बोर्ड परीक्षा दिवस : 12
कार्य दिवस/शिक्षण दिवस : 234
योग : 365

डॉ. (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक (मा.) उ.प्र. लखनऊ

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अन्तर्गत एकीकृत पेंशन योजना-एक विकल्प भारत सरकार का गजट प्रकाशित

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.अ.025012025-260482
CG-DL-E-25012025-260482
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1- खण्ड 1
PART-1 Section-1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 2025/ माघ 5, 1946
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 2025/MAGHA 5, 1946

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 24 जनवरी, 2025

फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर-वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 31 जनवरी, 2029 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1/3/2016-पीआर के आंशिक संशोधन में, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरु करने का निर्णय लिया है।

2. **एकीकृत पेंशन योजना** केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, अर्थात् -

योजना के अंतर्गत पात्रता

(i) सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा, अर्थात :

(क) यदि कोई कर्मचारी दस वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षिता की तारीख से;

(ख) एफआर 56 (अ) जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1995 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है) के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से; और

(ग) 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अवधि के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता।

(ii) सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा।

योजना के अंतर्गत लाभ

(iii) इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान, इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्यधीन, निम्नानुसार होगा, अर्थात् ;

(क) पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के पश्चात् देय है;

(ख) कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा;

(ग) दस साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीयुक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा; और

(घ) न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान, उस तारीख से शुरु होगा, जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता।

(iv) अधिवर्षिता के पश्चात् भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी (यथा अनुप्रयोज्य अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या एफआर 56 (ञ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख) को दिया जाएगा।

(v) महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान, जैसा भी मामला हो, पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरु होने पर ही देय होगी।

(vi) अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन+ महंगाई भत्ता) की 10% की दर से अधिवर्षिता पर एकमुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा।

(vii) एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कार्पस दो निधियों को मिलाकर बनेगा, अर्थात्-

(क) कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केन्द्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कार्पस; और

(ख) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कार्पसय़

(viii) कर्मचारियों का अंशदान (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 10% होगा। इसके बराबर ही केन्द्र सरकार का भी अंशदान (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस में जमा किया जाएगा।

(ix) केन्द्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% (मूल्य वेतन+महंगाई भत्ता) का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कार्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है।

(x) कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कार्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकता हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निवेश का डिफाल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कार्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो निवेश का डिफाल्ट पैनर्ट लागू होगा।

(xi) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कार्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केन्द्र सरकार का होगा।

(xii) उन कर्मचारियों के संबंध में, जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टाप-अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता शामिल है।

3. एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है, तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्तों को अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा।

4. एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी, जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में है, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कार्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्पस में अंतरित कर दिया जाएगा।

5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी, जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है, के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से 'बेंचमार्क कार्पस' मूल्य की गणना निम्नलिखित पूर्वानुमानों के साथ की जाएगी अर्थात्—

(क) अर्हक सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोज्य अंशदान की नियमित प्राप्ति;

(ख) अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा, और

(ग) ऐसे अंशदानों का निवेश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित निवेश के डिफाल्ट पैटर्न के अनुसार किया जाता है।

6. कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कार्पस में मूल्य या यूनिटों को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ-साथ, कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिटों जिनकी गणना उपरोक्त पैरा 5 के अनुसार की गई है, को भी कर्मचारी को सूचित किया जाएगा।

7. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत हैं।

8. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के अधिकार के लिए बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कार्पस में व्यक्तिगत कार्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कार्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिट से कम है, तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कार्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है, तो कर्मचारी बेंचमार्क कार्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को

अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कार्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी।

9. यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कार्पस में पूल कार्पस में अंतरित मूल्य या यूनिट, बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिट से कम है, तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा।

10. एकीकृत पेंशन योजना, एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते, कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोज्य अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है।

11. सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात सहित किसी अन्य मौद्रिक रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है।

12. एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं, पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि दरों के अनुसार ब्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाये का भुगतान किया जाएगा। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के लिए मासिक टॉप-अप राशि, जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी और उन्हें भुगतान की गई वार्षिकी को समायोजित करने के पश्चात् किया जाएगा।

13. अधिवर्षिता के समय अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले या जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

14. विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के भुगतान कार्यकरण के रूप में व्याख्यात्मक उदाहरण अनुबन्ध में दिए गए हैं।

15. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनियम जारी कर सकता है।

16. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 होगी।

पंकज शर्मा

संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 24 जनवरी -24 की अधिसूचना का. फक्स 1/3/2024-पीआर के पैरा ग्राफ 14 में सन्दर्भित अनुबन्ध पूर्वानुमान के आधार पर स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण विभिन्न सेटों के आधार पर' विचार किया गया है जिन्हें शैक्षिक विचार पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जा सकता है। वर्तमान में स्थानाभाव बस ऐसा किया जा रहा है। यद्यपि संगठन का एकमात्र लक्ष्य ओ.पी.एस. को हासिल करना ही हैसमिति संघर्ष गतिमान है।

-वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सम्पादक शैक्षिक विचार

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के अन्त में पाँचवी एवं आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा का आयोजन-गजट प्रकाशित

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.अ.21122024—259577
CG-DL-E-21122024-259577
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- उप-खण्ड (i)
PART-II Section-3-Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

शिक्षा मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर 2024

सा.का.नि. 777(अ)-केन्द्रीय सरकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (2) के खण्ड (च क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवाय बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन), नियम, 2024 है

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

भाग 5 क- कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना

16 क. रीति और शर्तें जिनके अध्यधीन किसी बालक को रोका जा सकता है (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ग के अंत पर पांचवी कक्षा और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदण्ड को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा।

(3) यदि उप-नियम (2) मे निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक, प्रोन्नति के मानदण्ड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथास्थिति, पांचवी कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा।

(4) बालक को रोक रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ-साथ यदि आवश्यक हो तो, बालक के माता-पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषशीय इनपुट प्रदान करेगा।

(5) स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषशीय इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपलबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप में मानीटरी करेगा।

(6) बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता-आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी।

(7) किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल में नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता।

अनिल कुमार सिंघल
अपर सचिव

शिशु देखभाल अवकाश संबंधी विशेष अनुदेश

फा.सं. ए-24011/5/2024-स्था-छुट्टी

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली-110067 दिनांक : 29.07.2024

कार्यालय ज्ञाप

विषय- भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयो और विभागों में छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों (Spells) में शिथिलता देने की शक्ति प्रदान करने संबंधी अनुदेश-तत्संबंधी।

इस विभाग द्वारा, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) और व्यय विभाग के परामर्श से लोकहित में बच्चे के चिकित्सीय उपचार के मामले में केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 4 3-सी (3) (i) के तहत स्वीकार्य शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों (spells) में छूट देने पर विचार किया गया है।

2. एक कल्याणकारी उपाय के तौर पर अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों अथवा विभागों में छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों को केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को सीसीएस (छुट्टी) नियमावली 1972 के नियम 4 3-सी (3) (i) के तहत स्वीकार्य, शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों (spells) के अतिरिक्त, अधिकतम तीन और अवधियों (spells) तक छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है।

3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(जे.एस.कंठ)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोशनल वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (मा.) प्रयागराज का समस्त उपशिक्षा निदेशक (मा.) को दिशा निर्देश

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा.) उ.प्र.

शिक्षा पेंशन 2) अनुभाग, प्रयागराज।

सेवा में,

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा.)

कानपुर।

पत्रांक : पेंशन 23/11117/2024-25

दिनांक-21.01.2025

विषय-प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े हुये पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर शिक्षा निदेशक (मा.), उ.प्र. प्रयागराज को संबोधित व अन्य की पृष्ठांकित अपने पत्रांक नोशनल वेतन वृद्धि 3530-32/2024-25 दिनांक 16.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से दिनांक 30 जून/ 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में है।

आप द्वारा प्रेषित उक्त आख्या के अनुशीलनोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नपत्र प्रकरण के संबंध में आदेश निर्गत किये गये है जिसमें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से 30 जून/ 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को नोशनल वेतन वृद्धि जोड़कर ग्रेच्युटी का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में कोई स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है। साथ ही अशासकीय शहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त सत्र लाभ प्राप्त करके 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे सभी शिक्षकों को एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ जोड़कर ग्रेच्युटी का लाभ देय होगा अथवा नही के संबंध में भी मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आप द्वारा प्रेषित उक्त आख्या से स्वत: स्पष्ट है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से दिनांक 30 जून 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में उक्त आदेश निर्गत है साथ ही निदेशालय के पत्रांक पेंशन (2)/10208-26/2024-25 दिनांक 12.12.2024 द्वारा प्रारूप निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के आदेश/निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिकायें जो 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त सत्र लाभ प्राप्त करके 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं, ऐसे सभी शिक्षकों को एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ जोड़कर ग्रेच्युटी का लाभ देय होगा अथवा नही के संबंध में यह सुनिश्चित हो ले कि क्या 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ देय है अथवा नही।

अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े हुये पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेशों/विभागीय आदेशों का स्व स्तर से अनुशीलन करते हुए तदुसार अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर शिक्षा निदेशक (मा.) उ.प्र.

माध्यमिक विद्यालयों में आउट सोर्सिंग पर्सन की शैक्षिक योग्यता संशोधित -विशेष सचिव उ.प्र. शासन

प्रेषक,

उमेश चन्द्र

विशेष सचिव, उ.प्र. शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा.)

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8

दिनांक-24 फरवरी, 2025

विषय-अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैनपावर (Outsorsing of man Power) की आवश्यकता के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सामान्य (1) तृतीय/18957/2024-25 दिनांक 01.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैनपावर (Outsorsing of man Power) की आवश्यकता के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने की व्यवस्था के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1613/15-8-2022-3003(18)/2016 दिनांक 28 अक्टूबर 2022 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-22 में सुगमता एवं सरलता के दृष्टिगत संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मैनपावर (Outsorsing of man Power) की आवश्यकता के दृष्टिगत आउटसोर्सिंग से कार्य कराये जाने की व्यवस्था के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1613/15-8-2022-3003(18)2016 दिनांक 28 अक्टूबर 2022 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-22 में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है—

शासनादेश दिनांक 28.10.2022 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-22 में विद्यमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
आउटसोर्स पर्सन की शैक्षिक योग्यताएं। 1. शैक्षिक योग्यता- इण्टरमीडिएट 2. आयु- न्यूनतम वर्ष 18 अधिकतम वर्ष 40	आउटसोर्स पर्सन की शैक्षिक योग्यताएं। 1. शैक्षिक योग्यता- हाईस्कूल 2. आयु- न्यूनतम वर्ष 18 अधिकतम वर्ष 40
नोटसंस्था/अभ्यर्थियों का चयन नामित फर्म-द्वारा सेवा योजन कार्यालय के पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।	नोटसंस्था द्वारा/अभ्यर्थियों का चयन नामित फर्म-सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिबन्ध/यह होगा कि नामित फर्मसंस्था द्वारा/आउटसोर्स पर्सन का चयन जिस जनपद हेतु किया जायेगा। अभ्यर्थी वहाँ का स्थानीय निवासी (जनपद का) होगा।

3. इस संबंध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ.प्र. द्वारा आउटसोर्सिंग के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उपर्युक्तानुसार शासनादेश संख्या-1613/15-8-2022-3003(18)/2016 दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी।

भवदीय

(उमेश चन्द्र)

विशेष सचिव

आल इण्डिया मदारिस अरबिया से सम्बद्ध वाराणसी जिला इकाई के शिक्षकों का जनपद सम्मेलन सम्पन्न, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने किया उद्घाटन

विगत 05 फरवरी, 2025 को वाराणसी के कमिश्नरेट सभागार में वाराणसी जनपदीय अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर, विशिष्ट अतिथि मदरसा शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डा. इफ्तेखार अहमद जावेद, माध्यमिक शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष संघ, पूर्व एम.एल.सी. श्री चेतनारायण सिंह (अपरिहार्य कारणों से शिरकत नहीं कर सके) के अतिरिक्त राष्ट्रीय महामंत्री वहीदुल्लाह खाँ सईदी सहित मदरसा शिक्षा से जुड़े प्रदेश के विभिन्न जनपदों के पदाधिकारी, वाराणसी जनपद के पदाधिकारी व सक्रिय मुदरिस शामिल रहे। आल इण्डिया मदारिस अरबिया के राष्ट्रीय महामंत्री मो. श्री वहीदुल्लाह खाँ सईदी ने प्रथमतः पधारे अतिथियों को माल्यार्पण कर गुलदस्ते भेंटकर अंगवस्त्रम व प्रतीक चिन्ह समर्पित कर स्वागत किया। इस कार्य में जनपदीय पदाधिकारियों ने सईदी साहब का भरपूर सहयोग किया। मौलाना सईदी साहब ने मदारिस शिक्षकों की समस्याओं का जिक्र करते हुए माननीय मंत्री जी को लखनऊ में आयोजित हुए विगत 11 दिसंबर-24 को सम्पन्न सम्मेलन की याद दिलायी जिसमें मद्रास से संबंधित केश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फाजिल व कामिल की पढ़ाई पर रोक पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी। माननीय मंत्री के समक्ष अल्पसंख्यक मदरसों से भाषा अध्यापकों एवं अन्य शिक्षकों पर गहराये गंभीर आर्थिक संकट पर भी चर्चा हुयी। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने 40 मिनट के संबोधन में इन ज्वलंत समस्याओं के समाधान का पूरा आश्वासन देते हुए कहा कि इसमें आप सभी का भी पूर्ण सहयोग हमें मिलना चाहिए। मंत्री महोदय ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारा प्रयास होगा कि फाजिल व कामिल के अध्ययन की व्यवस्था व संबंधित छात्रों को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध करा दिया जाय। प्रदेश के मदरसों में कार्य कर रहे 22 हजार से भी अधिक आधुनिक भाषा के शिक्षकों की समस्याओं को सुलझाये। उन्होंने अपने को अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी सभी समस्याओं को हल करने में एक सजग प्रहरी के रूप में खड़े रहने का विश्वास दिलाया। सम्मेलन व गोष्ठी के अंत में जनपद मदरसा सदर ने सभी आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। आमंत्रण पर माध्यमिक शिक्षक संघ के निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी श्री संत सेवक सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, व शैक्षिक विचार पत्रिका के मुख्य सम्पादक वीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष दिनेश सिंह मौजूद रहे।

कार्यालय-शिक्षा निदेशक (मा.), प्रयागराज के कार्यालयी आदेश द्वारा पुरानी पेंशन विकल्प स्वीकृत शिक्षकों/कर्मचारियों का सूची का निर्गमन

उपर्युक्त विषयक सूची का निर्गमन माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज से प्रारंभ हो गया है, उक्त क्रम में शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांक 28.06.2024 एवं शासनादेश 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 के आलोक में निर्गत शासन के पत्र शासनादेश सं. 2139/15.8.2024 दिनांक 22 जुलाई 2024 तथा वित्त सामान्य अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या-24/2024/सा-3-303/ दस-2024/301 (1)/2024 दिनांक 22 अगस्त-2024 में प्रदत्त आदेश के अनुपालन में निदेशालय स्तर पर गठित समिति के निर्णयोपरान्त शिक्षकों/कर्मचारियों को उक्त शासनादेश में

निहित व्यवस्था के आलोक में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है। यदि कोई तथ्य छिपाया गया होगा तो संज्ञान में आने पर तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त विज्ञप्ति कार्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज द्वारा जारी की जा रही है।

नोट-शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 सन्दर्भित पत्र पुनःसंज्ञान हेतु दिया जा रहा है, ज्ञातव्य हो इस संदर्भित शासनादेश के बिन्दु (6) में उल्लिखित पेंशन निधि में जमा, धनराशियों के अन्तरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे। इस संबंध में शासनादेश सं. -38/2024/सा-3-505/दस-2024/301(1)/2024, लखनऊ दिनांक 19 नवम्बर, 2024 निर्गत हो चुका है जो शैक्षिक विचार पत्रिका के वर्ष-04 अंक 05 (नवम्बर-दिसम्बर 2024 संयुक्तांक) के पृष्ठ सं. 12, 13 एवं 14 पर मुद्रित भी है, सम्प्रति शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 पुनः सुन्दर्भित किया जा रहा है।

-संपादक

सन्दर्भित पत्र दिनांक 28 जून, 2024

सं. 2137/685-24, 28.6.2024

संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार

अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उ.प्र. शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ.प्र.।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ.प्र.।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ   दिनांक 28 जून, 2024

विषय- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली), लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के संबंध में विकल्प की व्यवस्था।

महोदय,

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301 (9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिसमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात नवनियुक्त कर्मचारी नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित होंगे।

2. ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक 28.3.2005 के पूर्व किया गया था और उक्त विज्ञापन के सापेक्ष नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 01.04.2005 को

अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु अभ्यावेदन निरन्तर शासन को प्राप्त होते रहे हैं।

3. केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/05/2021-P&PW(B) दिनांक03.03.2023 द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथवा उसके उपरान्त ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किया जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।

4. इस संबंध में न्यायालयों के निर्णयों केन्द्र सरकार के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.03.2023 और विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे सभी कार्मिकों को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख, अर्थात दिनांक 28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया है, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाये।

5. उक्त निर्णय के अनुपालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं—

(1) विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2024 होगी। प्रस्तुत किया गया विकल्प अंतिम तथा अपरिवर्तनीय होगा।

(2) उत्तर प्रदेश रटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर करने के मामले को उस पद जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, के प्रशासकीय विभाग के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा। यदि कर्मचारी, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट ''बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक निर्गत कर दिये जायेंगे तथा आदेश निर्गत होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जायेगी।

(3) जिन कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का वरण किया जाता है, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते दिनांक 30.06.2025 से बन्द कर दिये जायेंगे।

(4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जायेगा।

(5) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जायेगा।

(6) ऐसे सभी कर्मचारी जो विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक विकल्प का प्रयोग नही करते हैं, वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किए जाते रहेंगे।

6- पेंशन निधि में जमा धनराशियों के अंतरण से संबंधित लेखांकन की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव

एन.पी.एस. आच्छादित कर्मियों के वेतन से 10% कटौती के साथ ही राज्यांश का 14% अंश कोषागार बिल में जमा किये जाने का निर्देश

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (मा.)

शिविर कार्यालय पार्क रोड, लखनऊ

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : शि.नि.(मा.)/निर्देश/डी.ई./3483-3652/2024-25 दिनांक-03 फरवरी, 2025

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 28 जून, 2024

विषय- अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन से 10 प्रतिशत काटी गयी धनराशि के साथ 14 प्रतिशत राजकीय अंशदान की धनराशि को वेतन बिल के साथ ही एन.पी.एस. के अन्तरण संबंधी बिल कोषागार लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि 01.04.2005 के बाद नियुक्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) लागू है। प्रारंभ में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों प्रतिमाह के वेतन से 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर तथा 10 प्रतिशत राजकीय अंशदान को सम्मिलित करते हुऑए उनके प्रान खाते में धनराशि स्थनान्तरित किये जाने की व्यवस्था थी तथा वर्तमान में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों प्रतिमाह के वेतन से 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर तथा 14 प्रतिशत राजकीयअंशदान को सम्मिलित करते हुए उनके प्रान खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की व्यव स्था प्राख्यापित है। इस संबंध में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ-साथ इनके संगठनों के द्वारा यह मांग की जाती रही है कि जिले स्तर से इनके वेतन से जो धनराशि की कटौती की जाती है तथा राजकीय अंशदान की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि समय से उनके प्रान खातों में स्थानान्तरित नहीं की जाती है इस संबंध में कई बार समीक्षा बैठकें निदेशालय स्तर पर आयोजित कर जनपदों को निर्देशित भी किया गया, लेकिन वर्तमान में भी शत-प्रतिशत जनपदों में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रान खातों में अद्यतन धनराशि प्रदर्शित नहीं हो रही है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिमाह वेतन बिल के साथ ही उनके वेतन से 10 प्रतिशत धनराशि की कटौती की धनराशि तथा 14 प्रतिशत राजकीय अंशदान की धनराशि का बिल भी कोषागार में समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, किसी भी अन्यथा स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

डॉ. (महेन्द्र देव)
शिक्षा निदेशक (मा.)

31 मार्च-25 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्यों/शिक्षकों का सेवा विस्तार किया जाना

प्रेषक,

उमेश चन्द्र

विशेष सचि , उ.प्र. शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा.)

उ.प्र. लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8 लखनऊ

दिनांक-26 दिसम्बर 2024

विषय- राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य/शिक्षकगण जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.03.2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को सेवा विस्तर दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2637/15-8-2024-2006 (2)/2022 दिनांक 17.10.2024, पत्र संख्या-2694/15-8-2024-2006 (2)/202 दिनांक 04.11.2024, पत्र संख्या-2730/15-8-2024-2006 (2)/2022 दिनांक 13.11.2024 एवं पत्र संख्या-2833/15-8-2024-2006 (2)/2022 दिनांक 09.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय/राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य/शिक्षणगण जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिांक 31.03.2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को सासनादेश दिनांक 28.12.2019 के आधार पर वर्तमान शिक्षण सत्र 2024-25 में दिनांक 31.03.2025 को सत्रांत लाभ सहित अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले समस्त शिक्षकगण के सेवा विस्तार के संबंध में निर्धारित संगत अभिलेखों सहित पूर्ण विवरण/प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु उक्त आख्या/प्रस्ताव अद्यतन अप्राप्त है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

2. अतः उक्त पत्रों की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुए मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय/राज्य अद्यापक पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य/शिक्षकगण के सेवा विस्तार के संबंध में शासन द्वारा दिनांक 28.12.2019 (प्रति संलग्न) को निर्गत-दिशा निर्देशों के आलोक में वर्तमान शिक्षण सत्र 2024-25 में दिनांक 31.03.2025 को सत्रांत लाभ सहित अधिवर्षता आयु पूर्ण करने वाले समस्त शिक्षकगण के सेवा विस्तार के संबंध में निर्धारित संगत अभिलेखों सहित पूर्ण विवरण/प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन शासन में सेवा विस्तार संबंधी कोई प्रकस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि शासन से समुचित परीक्षणोपरान्त उक्त अध्यापकों का जिनकी अधिवर्ष आयु दिनांक 31.03.2025 को पूर्ण हो रही है, के संबंध में सेवा विस्तार संबंधी आदेश जारी किया जाता है।

भवदीय

(उमेश चन्द्र)

विशेष सचिव